### TO REGULARIZE ROAD SIDE BUILDING AND GUEST HOUSE

**474 Sh. Pardeep Choudhary, M.L.A.:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the road side buildings, Guest House in Morni area on the pattern of 2009 by the Town and Country Planning Department; if so, the details thereof?

### **REPLY**

### Manohar Lal Chief Minister, Haryana

Sir,

Yes. A proposal for regularization of unauthorised constructions within 30 mts. Restricted belt along scheduled roads under The Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 is under consideration for the entire state. Panchula-Morni being a scheduled road will also be covered under this proposal.

# सड़क किनारे बने भवनों तथा गेस्ट हाऊस को नियमित करना

474 श्री प्रदीप चौधरी, विधायक:— क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि क्या नगर एवं शहरी योजना विभाग द्वारा वर्ष 2009 की तर्ज पर मोरनी क्षेत्र में सड़क किनारे बने भवनों तथा गेस्ट हाऊस को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

### उत्तर

## मनोहर लाल, मुख्य मन्त्री, हरियाणा

श्रीमान् जी,

हां। हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 के अधीन अनुसूचित सड़कों के साथ 30 मीटर की प्रतिबंधित पट्टी के अन्तर्गत अनिधकृत निर्माणों को नियमित करने का प्रस्ताव संपूर्ण राज्य के लिए विचाराधीन है। पंचकूला—मोरनी अनुसूचित सड़क होने के कारण इस प्रस्ताव में भी शामिल होगी।